(क) आवर्ती आय बनाम **अनावर्ती आय** (Recurring *vs.* Non-recurring Income)

अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आयकर में केवल आवर्ती या नियमित (regular) आय को ही शामिल करना चाहिए तथा अनावर्ती, अनियमित (irregular) एवं अप्रत्याशित (unexpected) आय को अलग रखना चाहिए। अनियमित आय को सम्मिलित नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है। मजदूरी पर आयकर लगाने और जुआ से प्राप्त आय को शामिल नहीं करने को किस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है? यह अवश्य कहा जा सकता है कि कर की प्रगतिशील दर अनियमित आय के साथ भेदभाव बरतती है, किन्तु औसत के प्रावधान के द्वारा यह कठिनाई दूर हो सकती है।

(ख) श्रम से प्राप्त आय बनाम **पूंजी से प्राप्त आय** (Labour Income *Vs.* Capital Income)

अनेक देशों में आयकर अधिनियम में श्रम से प्राप्त आय (अर्थात् अर्जित आय) तथा पूंजी से प्राप्त आय (अर्थात् अनर्जित आय) में अन्तर किया जाता है। अर्जित आय पर कर की दर कम होती है। अर्जित आय पर निम्न दर से कर लगाने के पक्ष में निम्न प्रमुख तर्क दिए जाते हैं :

(1) जिस व्यक्ति को अपना पेट भरने के लिए श्रम करना पड़ता है वह अवकाश का त्याग करता है। अनर्जित आय में ऐसा कोई त्याग नहीं है।

(2) श्रमिकों को तभी तक आय मिलती है जब तक वे श्रम करते हैं, किन्तु सुरक्षित विनियोग से प्राप्त आय पर इस तरह का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसलिए यह आय श्रम आय की तुलना में अधिक स्थिर एवं स्थायी है।

(3) श्रम करने में खर्च भी करना पड़ता है, जैसे परिवहन, कपड़े, आदि पर, लेकिन पूंजी से प्राप्त आय के साथ ऐसी कोई बात नहीं।

(4) श्रम करने की क्षमता अन्ततः समाप्त हो जाती है और रख-रखाव का कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रमिक को बुढ़ापे के लिए बचत करनी पड़ती है। पूंजी से आय प्राप्त करने वालों को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।

(5) पूंजी से आय प्राप्त करने वाले कर से बचने के अनेक उपाय कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए अनेक रास्ते हैं। श्रमिकों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है।

(6) श्रम की आय पर निम्न दर का असर ऐसा हो सकता है कि श्रमिक अधिक श्रम करने लगें।

(ग) उपहार एवं उत्तराधिकार (Gift and Inheritance)

जिन्हें उपहार एवं उत्तराधिकार प्राप्त होते हैं उनके लिए वे आय है। हेनरी साइमन्स के विचार में ऐसी सम्पूर्ण आय पर उसी वर्ष आयकर नहीं लगना चाहिए जिस वर्ष इन्हें प्राप्त किया जाता है बल्कि कई वर्षों में औसत के हिसाब से। दूसरा तरीका यह है कि ऐसी आय को आयकर में शामिल न किया जाए बल्कि इन पर अलग से उपहार कर तथा उत्तराधिकार कर लगाया जाए। अधिकांश देशों में यही विधि अपनायी जाती है।

कटौती एवं छूट (Deduction and Exemptions)

सभी देशों में आयकर कानून के अन्तर्गत कर योग्य आय को निकालने के लिए कुछ कटौती स्वीकार की जाती है। ऐसी कटौतियां कई तरह की होती हैं। मेडिकल व्यय को कर योग्य आय से घटा दिया जाता है। उसी प्रकार कई तरह की बचत को एक न्यूनतम सीमा तक पूर्ण छूट मिलती है और उसके बाद आंशिक छूट। साथ ही, अधिकतम छूट की सीमा निर्धारित कर दी जाती है। बचत पर प्राप्त ब्याज को भी कुछ सीमाओं के अन्दर कुछ शर्तों के साथ छूट दी जाती है। यह भी याद रखना चाहिए कि आयकर सभी आय-प्राप्तकर्ताओं पर नहीं लगाया जाता है बल्कि केवल उन्हीं पर जिनकी आय एक न्यूनतम सीमा से अधिक होती है।